दिनांक 01.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 31/01.02.2025 को थाना गुडम्बा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजौली मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सैफ उर्फ बादशाह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गुडम्बा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सैफ उर्फ बादशाह निवासी ग्राम सोहीपुर थाना घुघटेर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2— 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना रूरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.01.2025 को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रूरा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रूरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि कुमार निवासी हरिनगर डुम्मा थाना फारूखनगर जनपद गुडगांव हरियाणा।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना इन्दिरापुरम

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 31.01.2025 को थाना इन्दिरापुरम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वसुन्धरा तिराहा ग्रीन बैल्ट पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जयकुमार सहित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जयकुमार शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयकुमार निवासी ग्राम झापामासा थाना परिहार जनपद सीतामणी बिहार, हालपता ग्राम प्रहलादगढ़ी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–अभियुक्ता।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी के 04 आर0आर0यू0 यूनिट**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 क्रेटा कार आदि बरामद**

दिनांक 01.02.2025 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एस0के0एस0 तिराहा के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अतुल 2—बादल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी के 04 आर0आर0यू0 यूनिट, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 क्रेटा कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अतुल के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त बादल के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अतुल निवासी भीमनगर थाना रिपब्लिक क्रासिंग कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—बादल निवासी निकट कमला हाल थाना रिपब्लिक क्रासिंग कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी के 04 आर0आर0यू0 यूनिट।

2—02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 क्रेटा कार आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 30 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 31.01.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नकुड रोड हाईवे पुल के पास से अभियुक्त सन्नी कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 30 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सरसावा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्नी कुमार निवासी किशनपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 30 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सुशान्त गोल्फ सिटी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 14 बैट्री बरामद**

दिनांक 01.02.2025 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेवई नहर के पास से 03 अभियुक्तों 1—रोहित

2–सुजीत 3–अनिल कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 14 बैट्री बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 33 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी हैवतमऊ मवैया थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

2–सुजीत निवासी डलौना थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

3–अनिल कुमार निवासी बाछेपारा थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 14 बैट्री।

- **जनपद संतकबीरनगर/थाना महुली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–ग्यासुदीन 2–शाहआलम को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद आजमगढ़/थाना कप्तानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महेन्द्र व दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना हरपालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना हरपालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आशीष को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बिनौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बिनौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नितिन कुमार उर्फ मट्टू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–जनपद बस्ती से रुपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कमलेश कुमार अमरावती (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।

दिनांकः 31–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(2), 238, 326(8), 3(5), 61(2) बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कमलेष कुमार को अमरावती (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

कमलेश कुमार पुत्र स्व0 राममिलन उपाध्याय निवासी ग्राम सेठा, थाना कप्तानगंज, बस्ती।

अभियुक्त से बरामदगीः–

1– रूपये 2000/– नगद।

2– 01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

अम्बेडकर तिराहा, थाना बडनेरा, जनपद अमरावती, महाराष्ट्र दिनांक 31–01–2025 समय 13.02 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त क्रम में निरीक्षक श्री ओम शंकर शुक्ला, मु0आ0 कुलदीप सिंह, राकेष शर्मा, दिलीप कुमार, मु0आ0 चालक राकेष मिश्रा की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त कमलेश कुमार महाराष्ट्र में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर

एसटीएफ टीम द्वारा वांछित अभियुक्त कमलेश कुमार को अम्बेडकर तिराहा, थाना बडनेरा, जनपद अमरावती, महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया कि परिवारिक सम्पत्ति विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों (करूणाकार, राजेश, शान्ति, सिल्पा, कौशलचन्द्र रंजना) के साथ मिलकर गोदावरी व उसकी बेटी सौम्या की हत्या कर दिया था एवं सबूत मिटाने के उद्देष्य से उनके शवों को जला दिया था। इस घटना में 04 अभियुक्त जेल जा चुके है। यह अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र में छिपकर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना बडनेरा, अमरावती में दाखिल करके ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु दिनांक 31–01–2025 को प्रथम श्रेणी न्याय दण्डाधिकारी, कोर्ट नं0 11, अमरावती के समक्ष प्रस्तुत करके ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–सेमी आटोमैटिक/आटोमैटिक अवैध शस्त्रों का मैन्यूफैक्चरर व अन्तरप्रान्तीय सप्लायर लखनऊ से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त किन सिंह खरगोन, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार।

दिनांक 31–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 सेमी आटोमैटिक/आटोमैटिक अवैध शस्त्रों का मैन्यूफैक्चरर व अन्तरप्रान्तीय सप्लायर लखनऊ से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त किन सिंह खरगोन, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

किन सिंह उर्फ किम सिंह उर्फ विनोद सिंह पुत्र देवी सिंह ग्राम सिगनूर, थाना गोगांवा, जनपद खरगोन। (मध्य प्रदेश)

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

विजय लक्ष्मी हास्पिटल के सामने खरगोन, मध्य प्रदेष। दिनांक 31–01–2025 समय 12.05 अपराह्न।

मध्य प्रदेश के खण्डवा, खरगोन व बुरहानपुर जनपदों से अवैध स्वचलित/अर्धस्वचलित शस्त्रों की तस्करी के सम्बन्ध में की जा रही अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा 02 असलहा तस्करों को 08 अवैध पिस्टल एवं 16 मैगजीन के साथ दिनांक 24–07–2024 को थाना क्षेत्र पारा, जनपद–लखनऊ से गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0 391/2024 धारा 3, 25(1),(बी), 25(1), (ए), 25(8), आयुध अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार तस्करो से की गयी पूछताछ से पता चला कि ग्राम सिगनूर, खरगोन (म0प्र0) निवासी किन सिंह अवैध शस्त्रों का मैन्यूफैक्चरर व सप्लायर है, जो देश के विभिन्न प्रान्तों में शस्त्र/मैगजीन सप्लाई करता है, वही से अवैध शस्त्र लाकर वह लोग भी उ0प्र0 के विभिन्न जिलों में बेचते है। इस अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु संयुक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ के स्तर पर रू0 50,000/– का पुरस्कार दिनांक 17–12–2024 को घोषित किया गया है।

मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाये जाने वाले अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रचलित थी।

दिनांक 31–01–2025 को निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम अभिसूचना संकलन हेतु मध्य प्रदेष के जनपद खरगोन में भ्रमणषील थी, इस दौरान जरिये मुखबिर ज्ञात हुआ कि इनामी अपराधी व अवैध शस्त्रों का सप्लायर किन सिंह खारगोन के विजय लक्ष्मी अस्पताल के बाहर किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना से स्थानीय पुलिस को अगवत कराकर एसटीएफ टीम द्वारा विजय लक्ष्मी अस्पताल खारगोन के आस–पास आवष्यक घेराबन्दी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह विगत कई वर्षो से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर मध्य प्रदेश, उ0प्र0, दिल्ली, राजस्थान व महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न प्रान्तों में सप्लाई करता है। मॉग के मुताबिक वह सेमी आटोमैटिक व आटोमैटिक शस्त्रों का निर्माण करता है। शस्त्रों के निर्माण हेतु कई कारीगर रखा है जो यही काम करते है। सामान्यतः शस्त्रों का निर्माण सिगनूर के जंगलों में होता है जहॉ समय–समय पर

ठिकाने बदलते रहते है। शस्त्रो के निर्माण हेतु कच्चा माल स्टील प्लेट, राड व स्क्रू आदि स्थानीय बाजार से मिल जाता है। पिस्टलो की बैरल हेतु टाटा व सन ब्राण्ड की 16एमएम की सरिया का इस्तेमाल करते है, जिसे खराद मशीन से ड्रिल कर बैरल के रूप में परिवर्तित कर देते है। एक पिस्टल तैयार करने में कारीगर को 02–03 दिन लगते है। जिस पर करीब 03 हजार की लागत आती है। सेमी आटो मैटिक पिस्टल 10–15 हजार व आटो मैटिक पिस्टल 50–60 हजार में बेचते है। विभिन्न प्रान्तों से खरीददार स्वयं ही उसके पास आते रहते है। करीब 06 माह पूर्व स्पेषल सेल दिल्ली द्वारा भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सिगनूर के आस–पास जंगली इलाका होने के कारण पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते है। असलहो को खरीदने व बेचने वाले अपना वास्तविक नाम नहीं बताते है इस वजह से पकड़े जाने पर गलत नाम के वजह से बचते रहते है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना पारा, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पारा, जनपद लखनऊ द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :–</u>

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	109/12	294, 323, 506 भादवि	गोगॉव	खरगोन
2	97/17	25 आर्म्स एक्ट	चैनपुर	खरगोन
3	404/24	25 (8) आर्म्स एक्ट	स्पेशल सेल	नई दिल्ली
4	391/24	धारा 3, 25(1),(बी), 25(1), (ए), 25(8), आयुध अधि0	पारा	लखनऊ

――――――